

प्रेषक,

बी0 बी0 सिंह,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,  
इलाहाबाद।

उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, त  
संख्या 286 / रा0उ0शि0प0  
दिनांक 16-3-16

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 15 मार्च, 2016

विषय:- प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों के स्थानान्तरण की अनुमति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-सं0नि0(उ0शि0)/एकल स्था0/116/2015-16, दिनांक 25.02.2016 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानान्तरण नियमावली (प्रथम संशोधन) 2006 में विहित प्राविधानों के तहत सम्यक् विचारोपरान्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के निम्नलिखित रीडर को उनके नाम के सम्मुख कालम-04 के अनुसार अंकित महाविद्यालय में एकल स्थानान्तरण की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र.	अध्यापक का नाम/ पदनाम तथा कार्यरत महाविद्यालय का नाम	विषय	महाविद्यालय का नाम जहाँ के लिये स्थानान्तरण किया गया है।
1	2	3	4
1	डा0 हितैषी सिंह, रीडर- आर0सी0ए0 गर्ल्स कालेज, मथुरा।	गृह विज्ञान	ए0एन0डी0 नगर निगम कन्या महाविद्यालय, कानपुर।

2- उपरोक्त एकल स्थानान्तरण की अनुमति दोनों महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र से प्राप्त सहमति के आधार पर प्रदान की गयी है। महाविद्यालयों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालयों के प्रबन्धतंत्र का होगा। कोई भी सूचना असत्य पाये जाने की दशा में अनुमोदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

भवदीय,

( बी0 बी0 सिंह )  
विशेष सचिव।

संख्या: ~~स्था~~0-10 (1) / सत्तर-3-2016- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) कुलसचिव, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
- (2) कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।
- (3) जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर/आगरा।
- (4) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा।
- (5) सचिव, उ0प्र0 उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, 18-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
- (6) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
- (7) प्रिन्सिपल, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- (8) विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

( कृष्ण मकरन्द सिंह )  
अनु सचिव।

कमलेश शर्मा  
R-7  
16/3/16